

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)  
सचिका सं०-03/भू0अ0नि0 (7) अपील-13/2024.....

आदेश

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं०-9498 दिनांक-29.12.2023 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री अभीजीत कुमार, (Emp. ID No.- AEN04577) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम-8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभयपक्ष उपस्थित।

उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया।

अपीलार्थियों द्वारा दाखिल अपील अभ्यावेदन एवं अन्य अभिलेखों, साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत पाया गया कि अपीलार्थी का नियोजन के समय समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का प्रमाण-पत्र का सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय C.M.J University, मेघालय से अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में C.M.J University, मेघालय द्वारा अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन में किसी प्रमाण-पत्र को सत्यापित तो किसी को फर्जी प्रतिवेदित कर निदेशालय को उपलब्ध गयी है, बाद में पुनः उसी प्रमाण-पत्र को सत्यापित कर भेजा गया है, जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है। विश्वविद्यालय के पत्रांक CMJU/RO/VERI./2022-07/61/571 दिनांक 23.07.2022 द्वारा यह भी सूचना दी गयी है कि इनका सारा अभिलेख/दस्तावेज सी0आई0डी0, मेघालय द्वारा जब्त कर लिया गया है।

C.M.J University के जब्त किए गए अभिलेख/दस्तावेज से संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निदेशालय पत्रांक 2607 दिनांक 20.09.2022, पत्रांक 2079 दिनांक 13.03.2023 एवं पत्रांक 4475 दिनांक 30.05.2023 द्वारा पुलिस महानिदेशक, मेघालय पुलिस, पुलिस मुख्यालय, शिलांग से अनुरोध किया गया। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने तथा CID द्वारा अभिलेख जब्त किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने से उत्पन्न संदेह की स्थिति में निदेशालय आदेश संख्या 4692 दिनांक 02.06.2023 द्वारा मेघालय जाकर अद्यतन स्थिति प्राप्त करने हेतु निदेशालय स्तर पर दो सदस्यी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष-2010-2013 तक का कोई भी रिकार्ड/दस्तावेज विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं मई-2013 से दिसम्बर-2015 तक विश्वविद्यालय पूर्णतः बंद था, इस दौरान कोई भी पाठ्यक्रम/सत्र विश्वविद्यालय में संचालित नहीं किया गया है और न ही कोई प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त जाँच दल द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि विश्वविद्यालय के विरुद्ध शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर संदिग्धता के दृष्टिगत अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थियों के कथन, अपील अभ्यावेदन एवं रक्षित साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग, मेघालय ने दिनांक-31.03.2014 के आदेश द्वारा C.M.J University को ही भंग (Dissolution) कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध C.M.J University ने WP(C) No.-177/2014 उच्च न्यायालय, मेघालय में दाखिल किया था। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग, मेघालय के दिनांक-31.03.2014 के आदेश को Set aside/Quashed कर दिया।

मेघालय सरकार ने WP(C) No.-177/2014 में पारित दिनांक-16.07.2015 के आदेश के विरुद्ध WA No.-14/2017 माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय में दाखिल किया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, मेघालय के Division Bench ने दिनांक-06.05.2021 के आदेश द्वारा WP(C) No.-177/2014 दिनांक-16.07.2015 को पारित आदेश को Set aside कर दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग, मेघालय के दिनांक-31.03.2014 का (C.M.J University का Dissolution का) आदेश आज भी प्रभावी है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल दिनांक-16.03.2023 एवं 24.06.2023 का आदेश वर्तमान अपील पर प्रभावी नहीं है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थियों द्वारा नियोजन हेतु समर्पित प्रमाण-पत्र फर्जी है।

अतः निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उक्तालोक में अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/-

अपर मुख्य सचिव-सह-  
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-13/2024.....13607.....पटना, दिनांक :- 04/09/2024

प्रतिलिपि:- श्री अभीजीत कुमार, (Emp. ID No.- AEN04577) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा, Email ID- abhijeetdlrs@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

04.09.24

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-13/2024.....13607.....पटना, दिनांक :- 04/09/2024

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

04.09.24

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-13/2024.....13607.....पटना, दिनांक :- 04/09/2024

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.09.24

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-13/2024.....13607.....पटना, दिनांक :- 04/09/2024

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.09.24

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-13/2024.....13607.....पटना, दिनांक :- 04/09/2024

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव-सह-अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.09.24

उप निदेशक-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक:- 03/भू0अ0नि0 (7) अपील-13/2024...13607.....पटना, दिनांक :- 04/09/2024

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04.09.24

उप निदेशक-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी  
भू-अभिलेख एवं परिमाण